GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA (RAILWAY BOARD)

........................

No.E(NG)I-2001/PM9/2

New Delhi, dated 2 \ -11-2001

The General Manager (A/Cs) North Eastern Railway, Gorakhpur.

Sub:-Filling up of the post of Junior Accounts Assistants by App-II(IREM) qualified Accounts Clerks.

Reference N.E.Railway's letter No.Prash./96/53/7/612, dated 123.10.2001 and AIRF's letter No.AIRF/5(367), dated 3.10.2001 on the above subject.

- 2. Board have considered the matter and decided, as a one time exception, that 33-1/3% of the direct recruitment quota vacancies in the category of Junior Account Assistants after taking into account the 20% freeze order and setting off the number of vacancies for which indents, if any, are pending with RRB as on 30.6.2001 or vacancies equal to the number of App.II qualified Accounts Clerks available and eligible for promotion on that date, whichever is lower, may be filled by promotion of App.II qualified Accounts Clerks.
- 3. Please acknowledge receipt.

(J.S.Gusain) Joint Director Estt.(N) Railway Board

2 ____

No.E(NG)I-2001/PM9/2

New Delhi, dated 2 †11-2001

Copy to:-

- 1. The General Secretary, All India Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi-110055.
- 2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi-110055.

for Secretary/Railway Board

GF

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई(एन.जी)।-2001/पी.एम.9/2

नई दिल्ली, दिनांक र 1.11.2001

महाप्रबन्धक(लेखा) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।

विषयः लेखा क्लर्को की कनिष्ठ लेखा सहायको के रूप में पदोन्नति.

संदर्भः रेलवे का पत्र सं. प्रशा./96/5317/612, दि.23.10.2001 व एआईआरएफ का पत्र सं.एआईआरएफ 15(367),दि. 3.10.2001.

बोर्ड ने मामले की समिक्षा की है और यह विनिश्चय किया गया है कि 20% फ्रिज आर्डर के अनुदेश को ध्यान में रखते हुये उन रिक्तियों की संख्या को निर्धारित करने के बाद जिनके लिए रेल मर्ती बोर्डों के पास मांग पत्र लंबित है, 30.6.2001 को किनष्ठ लेखा सहायकों की कोटि में सीधी मर्ती की रिक्तियों को 33-1/3% अथवा उस तारीख को उपलब्ध तथा पदोन्नति के लिए पात्र परिशिष्ट-2 (भारतीय रेल स्थापना नियमावली) पास लेखा लिपिकों की संख्या के बरावर रिक्तियों को, जो भी कम हो, एक वारगी छूट के रूप में, परिशिष्ट-2 (भारतीय रेल स्थापना नियमावली) पास लेखा लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरा जाये.

2. कृपया पावती दें.

(जे.एस.गुसाई) संयु. निदेशक स्था.(अराज) रेलवे बोर्ड

सं.ई(एन.जी)।-2001/पी.एम.9/2

नई दिल्ली, दिनांक 2 1.11.2001

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. महासचिव, ए आई आर एफ, कमरा नं. 253,रेल भवन, नई दिल्ली,
- 2. महासचिव, एन एफ आई आर, कमरा नं. 256-ई,रेल मवन, नई दिल्ली,

कृते सिवव/रेलवे बोर्ड